न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प बांकली

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 1787/2015
तारीख दायरा : 08.10.2015
तारीख निर्णय : 27.06.2016

वादीगण	बनामः	प्रतिवादीगण
स्व. पदाराम पुत्र वीरमाजी के का.मु. 1. पुखराज पुत्र पदाराम 2. स्व. दानाराम पुत्र वीरमाराम के का.मु. वारिसान 2.1 तुलसीदेवी पत्नी दानाराम 2.2 ताराचन्द पुत्र दानाराम 2.3 शंकरलाल पुत्र दानाराम 2.4 शांतिलाल पुत्र दानाराम 2.5 मदनलाल पुत्र दानाराम तमाम जातिगण घांची , निवासीगण खिवान्दी तह. सुमेरपुर, जिला–पाली		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर 2. स्व. वालाराम पुत्र रामाजी के का.मु. 2.1 जवानमल पुत्र वालाराम 2.2 हंसाराम पुत्र वालाराम 2.3 मंछाराम पुत्र वालाराम 2.4 हुकमाराम पुत्र वालाराम 2.5 छोगाराम पुत्र वालाराम 2.6 रकुबाई पत्नी छोगाराम तमाम जातिगण घांची , निवासीगण खिवान्दी तह. सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज नामा उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मुलसिंह देवडा उपस्थित।

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 27.06.2016

राजस्व वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

1. कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प बांकली में बरोज पेश हुई। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधान के तहत उक्त प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संवत 2030–31 बंदोबस्त प्रारम्भ होने के समय सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में पुराने खसरा नं. 15/2 रकबा 100 बीघा में पदा 20 बीघा, दाना 25 बीघा, तारा 25 बीघा, व वाला 30 बीघा के रेकर्ड अनुसार खातेदार दर्ज थे तथा बन्दोबस्त समापन पर उपरोक्त वर्णित मूल खातेदारों या इनके परिवार सदस्यों को नये खसरा नं. 119, 122, 123, 124, व 124/1448, 125 व 125/1462 के पर्चा लगान जारी किये व खसरा नं. 122/1497 रकबा 1.52 हैक्टर को सरासर गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त खसरा नं. 122/1497 गत खसरा नं. 15/रकबा 1.20 हेक्टर व खसरा नं. 195 रकबा 0.23 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

क्रमश : पेज – 2....

Scanned by CamScanner

भूमि का ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त का ही हिस्सा रहा है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 02 उक्त वर्णित खसरा नं. 122/1497 रकबा 1.52 हैक्टर के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वादपत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

2. कि वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त वर्णित सिवायचक भूमि खसरा नं. 122/1497 रकबा 1.52 हैक्टर वादीगण के नाम से नियमन / आवंटन नही होने से खातेदारी देने योग्य नही हैं।

3. कि राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बांकली में तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर से वादग्रस्त भूमि बाबत् जबाव / राजस्व रेकर्ड व मौका अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई , जिसके अनुसार सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर के खसरा नं. 122/1497 रकबा 1.52 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज हैं। उक्त आराजी वादी को कभी नियमन या आवंटन नहीं हुई हैं। उक्त आराजी पर कभी लगातार कब्जा नहीं रहा हैं। वादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि होने से वादी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं हैं।

4. कि वादीगण के वादपत्र में अंकित कथन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने पूर्व मे भी वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी , सुमेरपुर के समक्ष धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो खारिज किया गया था।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के कतिपय आदेशो से स्पष्ट है कि मात्र राजकीय भूमि पर कब्जा होने से खातेदारी अधिकार किसी अतिकमी को प्रदत नहीं किये जा सकते । वाद वादीगण पत्र खारिज किया जाता हैं। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बांकली के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

Scanned by CamScanner